Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

सज्जन देवी बनाम नगर सुंधार न्यास

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 28 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26-04-2023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया/वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थिया/वादिया की ओर से प्रस्तुत उक्त् प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाऐं तो प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन अंकित किये है कि उक्त दीवानी वाद मे प्रतिवादिया संख्या 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र. सं. सपठित धारा 17 व 19 रजिस्ट्रेशन एक्ट एंव राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया था कि उक्त वाद मे प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 एंव 25.08.1989 साक्ष्य मे ग्रहण नही किये जाने से उन पर प्रदर्श नही डाले जाने के आदेश फरमावे जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया / प्रतिवादिया संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत उक्त् प्रार्थना पत्र पर उन्हें साक्ष्य में अग्राहय मानते हुये प्रदर्शित कराने की अनुमति नही दिये जाने का आदेश पारित किया गया। इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 से तीस लाख रूपये की सम्पत्ति का विक्रय किया जाना न्यायालय ने माना जब कि दस्तावेज दिनांक 12.04.1989 के प्रथम पृष्ठ पर अक्षरो मे तीन लाख रूपये अंकित है, वह सहवन से अंको में 30,00,000/- अंकित है, तथा पेशगी राशि अंको मे 30,000/- रूपया खरीददार साहब से नगद प्राप्त कर लिया है वायदा यह करार पाया है कि आज से 3 माह के अंदर बाकी रूपया 2,70,000/- रूपये खरीददार साहब से नगद प्राप्त करके बैनामी की रजिस्ट्री बहक खरीददार के हक मे तहरीर करवाई जायेगी । अतः यह सिद्ध है कि उक्त दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 की प्रतिफल राशि 3,00,000/- रुपये है, अधिनियम, 1899 अथवा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा क्रमशः 33 / 37 के तहत उक्त दस्तावेज "इम्पाउण्ड" कर रजिस्ट्रार स्टाम्प, अजमेर को विधि के प्रावधानों के तहत प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाये कि उक्त इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 को विधि अनुसार स्टाम्प राशि वसूल की जाकर स्टाम्पिंग किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कराऐ जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी/वादिया की ओर से कथन किये गये है कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा दिनांक 6.10.21 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद-पत्र अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 12.4.89 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त दस्तावेज समुचित रूप से रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाले जाने के आदेश दिये जावें। उक्त प्रार्थना पत्र से दस्तावेज की सत्यता एवं वैद्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था। उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय करने के लिए उक्त दस्तावेज को पर्याप्त रूप से स्टाम्पित कराया जाना आवश्यक है, अतः दस्तावेज को इम्पाउण्ड किया जाकर स्टाम्पित किये जाने हेतु कमिश्नर, स्टाम्प को प्रेषित किया जावें। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.22 को पारित आदेश के पृष्ठ सं. 5 की पंक्ति सं. 3 में तीन लाख के स्थान पर तीस लाख टंकित हो गया है, जिसे भी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी/वादिया की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) सी सी सी. 420 हैदराबाद उच्च न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जवाब में वकील प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश करते हुऐ मुख्यतः कथन किये है कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 12-04-1989 वादिया इम्पाउण्ड कराकर स्टाम्पिंग करवाने का कथन कर रही है उक्त दस्तावेज वादिया के पक्ष में ही निष्पादित नहीं हुआ है इस कारण वादिया को उक्त दस्तावेज को इम्पाउण्ड करवाकर पूर्ण स्टाम्पिंग करवाने का कोई हक एवं अधिकार कतई प्राप्त नहीं है। तथाकथित इकरारनामा के सन्दर्भ में वाद में भी गलत तथ्यों को अंकित किया गया है जबकि उक्त इकरारनामा प्रथम दृष्टया ही कूटरचित एवं फर्जी प्रतीत होता है व जिस व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होना दर्शित किया गया है उस व्यक्ति का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है। इकरारनामा पूर्ण प्रतिफल का अन्तरण नहीं दर्शित करता है, इकरारनामे के बाबत माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना अथवा उसे इम्पाउण्ड कर स्टाम्पिंग हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है, उक्त तथाकथित इकरारनामे के निष्पादन के लगभग 34 वर्ष पश्चात इम्पाउण्ड कराने की जो बात कहीं है वह सुसंगत नहीं है, इस कारण भी उक्त दस्तावेज का इम्पाउण्ड होकर स्टाम्पिंत कराया जाना उचित नहीं है , प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया एवं पत्रावली का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आता है कि मूल रूप से वकील प्रतिवादी का यह कथन है कि जो वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह इकरारनामा दिनांकित 12.04.1989 के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त दस्तावेज छगनलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इस संबंध में हमारे विनम्र मत में हस्तगत वाद वादिया सज्जनदेवी द्वारा इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है तथा इस संदर्भ में उनके द्वारा वाद–पत्र की चरण सं. 1 में अभिवचन भी किये गये है, निश्चित रूप से उक्त दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 12.04.1989 में क्रेता छगनलाल हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं है, परन्तु सज्जन देवी द्वारा उक्त दस्तावेज को आधार बनाकर ही दावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त दस्तावेज दावे का आधार हो जाता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय जहै कि उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य भी पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज समुचित रूप से स्टाम्पित एवं पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, क्योंकि दस्तावेज में विक्रय की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य तीन लाख रूपये होना अंकित किया गया है, जिसमें तीस हजार रूपये पेशगी दी गई एवं 2,70,000/– रू. दिये जाने शेष थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उक्त दस्तावेज अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, जिसको कि विधि अनुसार स्टाम्पित कराया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रार्थी/वादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) सी सी सी. 420 प्रस्तुत किया गया है, में माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मूल रूप से अपर्याप्त स्टाम्पित दस्तावेज को धारा 35 के तहत कमी पूर्ति हेतु वैध किया जा सकता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि स्टाम्प एक्ट, 1989 की धारा 33 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेजात को इम्पाउण्ड किया जावें। उक्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुऐ प्रार्थिया/वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 को स्वीकार किया जाकर इकरारनामा दिनांकित 12.04.1989 को इम्पाउण्ड किया जाता है। वादी आगामी तारीख पेशी पर प्रमाणित प्रति पेश करें, जिस पर मूल दस्तावेज इकरारनामा दिनाकिंत 12.04.1989 को विधि अनुसार पूर्ण रूप से स्टाम्पित कराये जान हेतु कमिश्नर, स्टाम्प के यहाँ प्रेषित किया जावें। जहाँ तक आदेश दिनाकिंत 19.11.1022 के पृष्ठ संख्या 5 पर 3,00,000/– रू. के स्थान पर 30,00,000/– रू. लिखा है, निश्चितः टंकणीय त्रुटी होने से उसे लाल स्याही से दुरूस्त किया जावें। जहाँ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —4—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	तक पृष्ठ संख्या 2 की कोई त्रुटी नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र इस हद तक खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने प्रमाणित प्रति हेतु दि. .... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –5–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए